न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –120 / 2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टस्
बाबूलाल पुत्र गोपाराम जाति सरगरा निवासी गोटन तहसील मेड़ता जिला नागौर		1. तहसीलदार, मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर 2. पटवारी हल्का, गोटन तहसील मेड़ता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास व श्री ओमप्रकाश गौड़।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 28/2/19

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 164 / 2018 सरकार बनाम बाबूलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.11.2018 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम जब अपीलान्ट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ तो अपीलान्ट को यह कहा गया कि आगामी पेशी पर जो भी साक्ष्य सबूत है वो आप प्रस्तुत करे तब अपीलान्ट उस विश्वास में वापस चला गया किन्तु अपीलान्ट के जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 24.10.18 को हल्का पटवारी ने मौके पर आकर अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दी, तब अपीलान्ट को प्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। तब अपीलान्ट ने दूसरे दिनांक दिनांक 25.10.2018 को नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 26.10.18 को प्राप्त हुई तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम आदेश जैर अपील की जानकारी होने का कथन करते हुऐ न्यायहित में अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने उक्त प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट में बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का गोटन ने भू अभिलेख निरीक्षक गोटन से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल बाबूलाल पुत्र गोपाराम जाति सरगरा निवासी गोटन, तहसील मेड़ता, जिला नागौर मौजा गोटन के ख.न. 149 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर पक्की दीवार व दुकान बनाकर अवैध रुप से अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्व 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20.08. 2018 को अप्रार्थी पेशी पर उपस्थित हुआ। तत्पश्चात् अधि. न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 20.08.2018 को अपीलांट के विरुद्व बेदखली व जुर्माने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश गैर सायल/अपीलांट को सुनवाई का पूरा मौका दिये बगैर व जबाब, पुराने दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जो विधि विरुद्व होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है।

पटवारी हल्का गोटन ने गैर सायल/अपीलांट को बगैर कोई सूचना दिये व अपनी रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा दीवार व दुकान बनाकर अतिक्रमण करने बाबत टी.पी. रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट की दीवार व दुकान मौके पर लगभग 40 वर्षो से बनी हुई है। किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं किया गया है हल्का पटवारी ने बिना किसी प्रकार का नाप चोप किए मनमाने ढंग से अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर पेश की है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किए आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने दौराने कार्यवाही हल्का पटवारी के बयान तक नहीं लिये, न ही अपीलांट के बयान लिये। न ही अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का एक भी अवसर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत व नैसर्गिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुवा तो अपीलांट को यह कहा गया कि आगामी पेशी पर जो भी साक्ष्य सबूत है वो आप प्रस्तुत करे तब अपीलांट उस विश्वास से वापस चला गया किन्तु अपीलांट के जाने के पश्चात् अधि. न्यायालय ने उसी दिन ही आदेश जैर अपील पारित कर दिये जाने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय, मेड़ता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2018 को निरस्त करने, साथ ही प्रकरण दोनों पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से अपीलान्ट का मौजा गोटन के खसरा नम्बर 149 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिकमण स्पष्टतया साबित है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है, परन्तु उसके द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि अनुसार होने से अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का गोटन एवं भू अभिलेख निरीक्षक निरीक्षक गोटन की रिपोर्ट दिनांक 31.07.2018 के अवलोकन से अपीलान्ट द्वारा मौजा गोटन के खसरा नम्बर 149 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट रूप साबित है। अपीलान्ट तारीख पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा प्रतिरक्षण में कोई जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की अपीलान्ट द्वारा निर्णय जैर अपील में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति प[illegible] भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर